

UPET120019202015



न्यायालय- सिविल जज (जू०डि०) जलेसर, एटा।
उपस्थित : रवि कुमार, उ०प्र० न्यायिक सेवा (ID-UP02570)

मूलवाद संख्या -99 सन 2015

इत्र प्रकाश आदि ---बनाम-- अतर सिंह

16.11.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित हैं। वादी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है एवं उनकी उपस्थिति हेतु अंतिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वह उपरोक्त वाद कार्यवाही को अग्रसारित कराने के इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार, मूलवाद संख्या-99/2015 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 वादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही, दाखिल दफ्तर हो।

(रवि कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)
जलेसर, एटा।